

बिहार सरकार
खेल विभाग

पत्रांक-05/नि० 2-15/2025.....29...../

पटना, दिनांक-3.....2/2026

सेवा में,


महालेखाकार, बिहार (ले. एवं ह.),
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय :- मनोज कमलिया स्टेडियम, पटना सिटी पर पटना नगर निगम का सेवा शुल्क एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क मद में कुल बकाया राशि ₹ 12,75,406/- (बारह लाख पचहत्तर हजार चार सौ छः रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-52 के अधीन बजट शीर्ष 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-104-खेलकूद-0011-खेल-कूद विपत्र कोड-52-2204001040011 के अंतर्गत विषय शीर्ष-14-01-किराया महसूल एवं कर में उपबंधित राशि से होगा।
- इस राशि की निकासी जिला खेल पदाधिकारी, पटना द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा अलग रखा जायेगा। भारत सरकार/बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। सम्पूर्ण राशि या इसके किसी अंश का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से वसूलनीय होगी।
- स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय खेल विभाग, बिहार, पटना को विहित विपत्र में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-3758, दिनांक-31.05.2017 एवं संकल्प सं०-12888, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- इस राशि की स्वीकृति पर सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक-3.....2/2026


ज्ञापांक-01/वि० 4-54/2024.....29...../

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी/जिला खेल पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/बजट शाखा/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/आई0

टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु), खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।